

निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा, देहरादून।

आदेश संख्या: सेवायें-1/ 353 /2(3)/स्थाना0/2019-20 दिनांक 25 जून, 2019

विज्ञप्ति/स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा 16 (1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति एवं स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक अध्यापन (अधीनस्थ राजपत्रित) सेवा (लेवल-10 वेतनमान रू0 56100-177500) समूह-‘ख’ में पात्रता सूची के 10 प्रतिशत सीमान्तर्गत कार्यरत निम्नांकित प्रधानाध्यापकों को अधिनियम-2017 की धारा 17 (1) (ग) **दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण** के अन्तर्गत उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 के विद्यालय से स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में अपने वेतनमान में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	प्रधानाध्यापक का नाम	कार्यरत विद्यालय/संस्था	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री प्रभुदत्त बसलियाल	रा0उ0मा0वि0 कांगड़ा टिहरी गढवाल	रा0उ0मा0वि0 अगरोड़ा पौड़ी गढवाल।	रिक्त पद के प्रति
2	श्री होरी लाल आर्य	रा0इ0का0 कूनीपार्था चमोली	रा0उ0मा0वि0 महरगांव टिहरी।	-तदैव-
3	श्री किशोरी लाल रतूड़ी	रा0उ0मा0वि0 तुंगोली टिहरी गढवाल।	रा0उ0मा0 वि0 भकड़ा उत्तरकाशी।	-तदैव-
4	श्री सुरेन्द्र दत्त सेमवाल	रा0इ0का0 तलेवन टिहरी गढवाल	रा0उ0मा0 वि0 समाल्टा देहरादून	-तदैव-
5	श्री नवीन चन्द्र उप्रेती	रा0उ0मा0वि0 धसाड पिथौरागढ	रा0उ0मा0 वि0 आमबाग चम्पावत	-तदैव-
6	श्री गोबिन्द सिंह विष्ट	रा0उ0मा0वि0 झूमाखेत चमोली	रा0उ0मा0 वि0 बजीना अल्मोड़ा	-तदैव-
7	श्री जय प्रकाश नैथानी	रा0उ0मा0वि0 जयखाल बोरगांव पौड़ी।	रा0उ0मा0वि0 बड़हल, टिहरी गढवाल	-तदैव-
8	श्री धीरेन्द्र सिंह नेगी	रा0उ0मा0वि0 करालापालड़ी बागेश्वर।	रा0उ0मा0वि0 मेहरागांव नैनीताल	-तदैव-
9	श्री राज्यपाल सिंह परमार	रा0उ0मा0वि0 मन्दार टिहरी गढवाल	रा0उ0मा0वि0 कण्डईखाल, पौड़ी।	-तदैव-
10	श्री दामोदर प्रसाद	रा0उ0मा0वि0 झाझरधार टिहरी	रा0उ0मा0वि0 रामपुर, टिहरी गढवाल।	-तदैव-
11	श्री उत्तम सिंह पंवार	रा0उ0मा0वि0 झाला उत्तरकाशी	रा0उ0मा0वि0 जरधारगांव टिहरी	-तदैव-
12	श्री नरेन्द्र सिंह कार्की	रा0उ0मा0वि0 खलाड़ नैनीताल	रा0उ0मा0वि0 बस्तिया चम्पावत	-तदैव-
13	श्री विशन सिंह नेगी	रा0उ0मा0वि0 मजकोट टिहरी	रा0उ0मा0वि0 पाटीसैण, पौड़ी गढवाल	-तदैव-

1


2

14	श्री विक्रम सिंह सेमवाल	रा0उ0मा0वि0 नागथलीमणी उत्तरकाशी	रा0उ0मा0वि0 कुमालडा, टिहरी	-तदैव-
----	-------------------------	------------------------------------	-------------------------------	--------

2- वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरित प्रधानाध्यापकों के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 10 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। कार्यभार से अवमुक्त होने वाले प्रधानाध्यापक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नव तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेगी।
- (2) स्थानान्तरित प्रधानाध्यापकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (3) स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (4) स्थानान्तरित प्रधानाध्यापकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
- (5) धारा-25 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरित प्रधानाध्यापकों द्वारा कार्यभार से मुक्त होने से पूर्व महत्वपूर्ण प्रकरणों के संबंध में एक कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा, जिसकी एक प्रति गार्ड फाईल में सुरक्षित रखी जायेगी तथा एक प्रति संबंधित नियंत्रक अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

उक्त का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाए।



(आर0के0 कुँबर)
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

पृ0सं0: सेवायें-1/ 7995-8004 /2(3)/स्थाना0/2019-20 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ हेतु।
2. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
3. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0), गढवाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
6. संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरित प्रधानाध्यापकों को स्थानान्तरण आदेश की प्रति निर्धारित समयावधि के अन्दर प्राप्त कराते हुए पावती रसीद निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. खण्ड शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित जनपद (द्वारा-मुख्य शिक्षा अधिकारी)।
8. प्रधानाध्यापक, संबंधित विद्यालय (द्वारा-मुख्य शिक्षा अधिकारी)।
9. संबंधित प्रधानाध्यापकों को उक्तानुसार अनुपालन हेतु।
10. प्रभारी एम0आई0एस0 अधिकारी, महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड को इस आशय से कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करेंगे।
11. आदेश गार्ड फाईल।


(नागेन्द्र बर्त्वाल)

उप निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा, देहरादून।

आदेश संख्या: सेवायें-1/ 348 /2(3)/स्थाना0/2019-20 दिनांक 25 जून, 2019

विज्ञप्ति/स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 16 (1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति एवं स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक अध्यापन (अधीनस्थ राजपत्रित) सेवा (लेवल-10 वेतनमान रू0 56100-177500) समूह-‘ख’ में पात्रता सूची के 10 प्रतिशत सीमान्तर्गत कार्यरत निम्नांकित प्रधानाध्यापक को अधिनियम 2017 की धारा 17 (1) (क) सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 के विद्यालय से स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर अपने वेतनमान में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र0 सं0	प्रधानाध्यापक का नाम	कार्यरत विद्यालय/ संस्था	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री उपेन्द्र उनियाल	रा0उ0मा0वि0 कण्डईखाल पौड़ी।	रा0उ0मा0वि0 गहड़ पौड़ी गढवाल	रिक्त पद के प्रति

2- वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरित प्रधानाध्यापक के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

(1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 10 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। कार्यभार से अवमुक्त होने वाले प्रधानाध्यापक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नव तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे।


(2) स्थानान्तरित प्रधानाध्यापक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(3) स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(4) स्थानान्तरित प्रधानाध्यापक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

(5) अधिनियम की धारा-25 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरित प्रधानाध्यापक द्वारा कार्यभार से मुक्त होने से पूर्व महत्वपूर्ण प्रकरणों के संबंध में एक कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा, जिसकी एक प्रति गार्ड फाईल में सुरक्षित रखी जायेगी तथा एक प्रति संबंधित नियंत्रक अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

उक्त का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाए।


(आस0के0 कुँवर)
निदेशक,


माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

पृ0सं0: सेवायें-1/ 7945-54 /2(3)/स्थाना0/2019-20 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ हेतु।
2. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।

3. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0), गढवाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी गढवाल।
6. संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरित प्रधानाध्यापक को स्थानान्तरण आदेश की प्रति निर्धारित समयावधि के अन्दर प्राप्त कराते हुए पावती रसीद निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. खण्ड शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित जनपद (द्वारा-मुख्य शिक्षा अधिकारी)।
8. प्रधानाध्यापक, रा0उ0मा0वि0 कण्डईखाल/गहड़, पौड़ी गढवाल (द्वारा-मुख्य शिक्षा अधिकारी)।
9. संबंधित प्रधानाध्यापक को उक्तानुसार अनुपालन हेतु।
10. प्रभारी एम0आई0एस0 अधिकारी, महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड को इस आशय से कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करेंगे।
11. आदेश गार्ड फाईल।


25-6-19

(नागेन्द्र बर्त्वाल)

उप निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा, देहरादून।

आदेश संख्या: सेवायें-1 / 349 / 2(3) / स्थाना0 / 2019-20 दिनांक 25 जून, 2019

विज्ञप्ति / स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा 16 (1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति एवं स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक अध्यापन (अधीनस्थ राजपत्रित) सेवा (लेवल-10 वेतनमान रू0 56100-177500) समूह-'ख' में पात्रता सूची के 10 प्रतिशत सीमान्तर्गत कार्यरत निम्नांकित प्रधानाध्यापिका को अधिनियम-2017 की धारा 17 (1) (क) सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 के विद्यालय से स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में अपने वेतनमान में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र0 सं0	प्रधानाध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय / संस्था	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती बसन्ती अधिकारी	रा0क0उ0मा0 वि0 कनकपुर नैनीताल	रा0क0उ0मा0वि0 विचखाली नैनीताल	रिक्त पद के प्रति

2- वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरित प्रधानाध्यापिका के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

(1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 10 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। कार्यभार से अवमुक्त होने वाली प्रधानाध्यापिका नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नव तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगी।


(2) स्थानान्तरित प्रधानाध्यापिका को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(3) स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(4) स्थानान्तरित प्रधानाध्यापिका द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित / टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

(5) धारा-25 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरित प्रधानाध्यापिका द्वारा कार्यभार से मुक्त होने से पूर्व महत्वपूर्ण प्रकरणों के संबंध में एक कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा, जिसकी एक प्रति गार्ड फाईल में सुरक्षित रखी जायेगी तथा एक प्रति संबंधित नियंत्रक अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

उक्त का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाए।


(आर0के0 कुँवर)
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

पृ0सं0: सेवायें-1 / 7955-64 / 2(3) / स्थाना0 / 2019-20 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ हेतु।

2. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
3. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0), गढवाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
6. संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरित प्रधानाध्यापिका को स्थानान्तरण आदेश की प्रति निर्धारित समयावधि के अन्दर प्राप्त कराते हुए पावती रसीद निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. खण्ड शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित जनपद। (द्वारा-मुख्य शिक्षा अधिकारी)
8. प्रधानाध्यापिका, रा0क0उ0मा0वि0 कनकपुर/विचखाली नैनीताल। (द्वारा-मुख्य शिक्षा अधिकारी)
9. संबंधित प्रधानाध्यापिका को उक्तानुसार अनुपालन हेतु।
10. प्रभारी एम0आई0एस0 अधिकारी, महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड को इस आशय से कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करेंगे।
11. आदेश गार्ड फाईल।



(नागेन्द्र बर्वाल)

उप निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा, देहरादून।

आदेश संख्या: सेवायें-1/ 350 /2(3)/स्थाना0/2019-20 दिनांक 25 जून, 2019

विज्ञप्ति/स्थानान्तरण


उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 16 (1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति एवं स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक अध्यापन (अधीनस्थ राजपत्रित) सेवा (लेवल-10 वेतनमान रू0 56100-177500) समूह-‘ख’ में कार्यरत निम्नांकित प्रधानाध्यापकों को अधिनियम-2017 की धारा 17 (1) (ख) (एक) गम्भीर रोग से रोगग्रस्त/विकलांग कार्मिकों द्वारा स्वयं अथवा पति/पत्नी की गंभीर रोगग्रस्तता/विकलांगता के आधार पर अनुरोध के अन्तर्गत उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 के विद्यालय से स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर अपने वेतनमान में निजी व्यय पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र0 सं0	प्रधानाध्यापक का नाम	कार्यरत विद्यालय/संस्था	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री सुनील जोशी	रा0उ0मा0वि0 हयोटगरी देहरादून	रा0उ0मा0वि0 रामपुरकला, देहरादून।	रिक्त पद के प्रति
2	श्री विनोद कुमार रतूड़ी	रा0उ0मा0वि0 बंजारेवाला हरिद्वार।	रा0उ0मा0वि0 सरोना देहरादून	---तदैव---
3	श्री त्रिलोचन पंत	रा0उ0मा0वि0 सिसौना उधमसिंह नगर	रा0उ0मा0वि0 नाईसिल्ला नैनीताल।	---तदैव---

2- वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरित प्रधानाध्यापकों के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 10 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। कार्यभार से अवमुक्त होने वाले प्रधानाध्यापक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नव तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे।
- (2) स्थानान्तरित प्रधानाध्यापकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (3) स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (4) स्थानान्तरित प्रधानाध्यापकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
- (5) धारा-25 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरित प्रधानाध्यापकों द्वारा कार्यभार से मुक्त होने से पूर्व महत्वपूर्ण प्रकरणों के संबंध में एक कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा, जिसकी एक प्रति गार्ड फाईल में सुरक्षित रखी जायेगी तथा एक प्रति संबंधित नियंत्रक अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

उक्त का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाए।



(अस0के0 कुँवरी)

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

पृ0सं0: सेवायें-1/7965-74 /2(3)/स्थाना0/2019-20 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ हेतु।
2. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
3. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0), गढवाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार/उधमसिंह नगर/नैनीताल।
6. संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरित प्रधानाध्यापकों को स्थानान्तरण आदेश की प्रति निर्धारित समयावधि के अन्दर प्राप्त कराते हुए पावती रसीद निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. खण्ड शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित जनपद (द्वारा-मुख्य शिक्षा अधिकारी)।
8. प्रधानाध्यापक, संबंधित विद्यालय (द्वारा-मुख्य शिक्षा अधिकारी)।
9. संबंधित प्रधानाध्यापकों को उक्तानुसार अनुपालन हेतु।
10. प्रभारी एम0आई0एस0 अधिकारी, महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड को इस आशय से कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करेंगे।
11. आदेश गार्ड फाईल।


35-6-19
(नागेन्द्र बर्वाल)

उप निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा, देहरादून।

आदेश संख्या: सेवायें-1/ 351 /2(3)/स्थाना0/2019-20 दिनांक 25 जून, 2019

विज्ञप्ति/स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा 16 (1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति एवं स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक अध्यापन (अधीनस्थ राजपत्रित) सेवा (लेवल-10 वेतनमान रू0 56100-177500) समूह-‘ख’ में कार्यरत निम्नांकित प्रधानाध्यापकों को अधिनियम-2017 की धारा 17 (1) (ख) (चार) उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति/पत्नी द्वारा सामान्य श्रेणी के स्थल/क्षेत्र में तैनाती हेतु अनुरोध के अन्तर्गत उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 के विद्यालय से स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर अपने वेतनमान में निजी व्यय पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र0 सं0	प्रधानाध्यापक का नाम	कार्यरत विद्यालय/संस्था	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	डा0 खुशाल सिंह रावत	रा0उ0मा0वि0 मटियावा देहरादून	रा0उ0मा0वि0 सिंगंटाली टिहरी गढवाल।	रिक्त पद के प्रति
2	श्री सुरेश चन्द्र पाठक	रा0उ0मा0वि0 दूदली नैनीताल।	रा0उ0मा0वि0 रानीबाग नैनीताल	—तदैव—
3	श्री दिनेश चन्द्र भट्ट	रा0उ0मा0वि0 नाली पौड़ी गढवाल	रा0उ0मा0वि0 बैग्वाड़ी पौड़ी गढवाल	—तदैव—

2- वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरित प्रधानाध्यापकों के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

(1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 10 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। कार्यभार से अवमुक्त होने वाले प्रधानाध्यापक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नव तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे।


(2) स्थानान्तरित प्रधानाध्यापकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(3) स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(4) स्थानान्तरित प्रधानाध्यापकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

(5) धारा-25 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरित प्रधानाध्यापकों द्वारा कार्यभार से मुक्त होने से पूर्व महत्वपूर्ण प्रकरणों के संबंध में एक कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा, जिसकी एक प्रति गार्ड फाईल में सुरक्षित रखी जायेगी तथा एक प्रति संबंधित नियंत्रक अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

उक्त का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाए।


(आर0के0 कृष्ण)

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

पृ०सं०: सेवायें-1 / 7975-84 / 2(3) / स्थाना० / 2019-20 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा० शिक्षा मंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ हेतु ।
2. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन ।
3. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून ।
4. मण्डलीय अपर निदेशक, (मा०शि०), गढवाल मण्डल, पौड़ी / कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल ।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून / टिहरी / पौड़ी / नैनीताल ।
6. संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरित प्रधानाध्यापकों को स्थानान्तरण आदेश की प्रति निर्धारित समयावधि के अन्दर प्राप्त कराते हुए पावती रसीद निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
7. खण्ड शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित जनपद (द्वारा-मुख्य शिक्षा अधिकारी) ।
8. प्रधानाध्यापक, संबंधित विद्यालय (द्वारा-मुख्य शिक्षा अधिकारी) ।
9. संबंधित प्रधानाध्यापकों को उक्तानुसार अनुपालन हेतु ।
10. प्रभारी एम०आई०एस० अधिकारी, महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड को इस आशय से कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करेंगे ।
11. आदेश गार्ड फाईल ।

 6-19

(नागेन्द्र बर्त्वाल)

उप निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड ।

निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा, देहरादून।

आदेश संख्या: सेवायें-1/ 352 /2(3)/स्थाना0/2019-20 दिनांक 25 जून, 2019

विज्ञप्ति/स्थानान्तरण


उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा 16 (1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति एवं स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक अध्यापन (अधीनस्थ राजपत्रित) सेवा (लेवल-10 वेतनमान रू0 56100-177500) समूह-‘ख’ में कार्यरत निम्नांकित प्रधानाध्यापिका को अधिनियम-2017 की धारा 17 (1) (ख) (एक) गम्भीर रोग से रोगग्रस्त/विकलांग कार्मिकों द्वारा स्वयं अथवा पति/पत्नी की गंभीर रोगग्रस्तता/विकलांगता के आधार पर अनुरोध के अन्तर्गत उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 के विद्यालय से स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर अपने वेतनमान में निजी व्यय पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	प्रधानाध्यापक का नाम	कार्यरत विद्यालय/ संस्था	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती कमला जोशी	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, रुड़की हरिद्वार।	रा0क0उ0मा0वि0 सुनारगांव, देहरादून।	रिक्त पद के प्रति

2- वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरित प्रधानाध्यापिका के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 10 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। कार्यभार से अवमुक्त होने वाली प्रधानाध्यापिका नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नव तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेगी।
- (2) स्थानान्तरित प्रधानाध्यापिका को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (3) स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (4) स्थानान्तरित प्रधानाध्यापिका द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
- (5) धारा-25 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरित प्रधानाध्यापिका द्वारा कार्यभार से मुक्त होने से पूर्व महत्वपूर्ण प्रकरणों के संबंध में एक कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा, जिसकी एक प्रति गार्ड फाईल में सुरक्षित रखी जायेगी तथा एक प्रति संबंधित नियंत्रक अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

उक्त का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाए।


(आर०के० कुँवर)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

पृ0सं0: सेवार्ये-1 / 7985-94 / 2(3) / स्थाना0 / 2019-20 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ हेतु ।
2. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन ।
3. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून ।
4. मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0), गढवाल मण्डल, पौड़ी / कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल ।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून / हरिद्वार ।
6. मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार ।
7. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, रुड़की हरिद्वार को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरित प्रधानाध्यापिका को स्थानान्तरण आदेश की प्रति निर्धारित समयावधि के अन्दर प्राप्त कराते हुए पावती रसीद निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
8. खण्ड शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित जनपद । (द्वारा-मुख्य शिक्षा अधिकारी)
9. संबंधित प्रधानाध्यापिका को उक्तानुसार अनुपालन हेतु ।
10. प्रभारी एम0आई0एस0 अधिकारी, महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड को इस आशय से कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करेंगे ।
11. आदेश गार्ड फाईल ।



(नागेन्द्र बर्त्वाल)

उप निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड ।

निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा, देहरादून।

आदेश संख्या: सेवायें-1 / 354 / 2(3) / स्थाना0 / 2019-20 दिनांक 25 जून, 2019

विज्ञप्ति / स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा 16 (1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति एवं स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक अध्यापन (अधीनस्थ राजपत्रित) सेवा (लेवल-10 वेतनमान रू0 56100-177500) समूह-‘ख’ में पात्रता सूची के 10 प्रतिशत सीमान्तर्गत कार्यरत निम्नांकित प्रधानाध्यापिका को अधिनियम-2017 की धारा 17 (1) (ग) दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 के विद्यालय से स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में अपने वेतनमान में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र0 सं0	प्रधानाध्यापक का नाम	कार्यरत विद्यालय / संस्था	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती नमिता भण्डारी	रा0क0उ0मा0वि0 उखीमठ रूद्रप्रयाग	रा0क0उ0मा0वि0 नैग्वाड़ चमोली।	रिक्त पद के प्रति

2- वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरित प्रधानाध्यापिका के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

(1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 10 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। कार्यभार से अवमुक्त होने वाली प्रधानाध्यापिका नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नव तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेगी।


(2) स्थानान्तरित प्रधानाध्यापिका को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(3) स्थानान्तरित किये गये कर्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(4) स्थानान्तरित प्रधानाध्यापिका द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित / टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

(5) धारा-25 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरित प्रधानाध्यापिका द्वारा कार्यभार से मुक्त होने से पूर्व महत्वपूर्ण प्रकरणों के संबंध में एक कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा, जिसकी एक प्रति गार्ड फाईल में सुरक्षित रखी जायेगी तथा एक प्रति संबंधित नियंत्रक अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

उक्त का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।


(आर0के0 कुंवर)
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

पृ०सं०: सेवायें-1 / 8005-14 / 2(3) / स्थाना० / 2019-20 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा० शिक्षा मंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ हेतु।
2. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
3. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. मण्डलीय अपर निदेशक, (मा०शि०), गढवाल मण्डल, पौड़ी / कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली / रुद्रप्रयाग।
6. संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरित प्रधानाध्यापिका को स्थानान्तरण आदेश की प्रति निर्धारित समयावधि के अन्दर प्राप्त कराते हुए पावती रसीद निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. खण्ड शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित जनपद (द्वारा-मुख्य शिक्षा अधिकारी)।
8. प्रधानाध्यापिका संबंधित विद्यालय (द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी)।
9. संबंधित प्रधानाध्यापिका को उक्तानुसार अनुपालन हेतु।
10. प्रभारी एम०आई०एस० अधिकारी, महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड को इस आशय से कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करेंगे।
11. आदेश गार्ड फाईल।



(नागेन्द्र बर्त्वाल)

उप निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।